13

शिक्षा का अधिकार एवं भारत–विकास

डॉ. अर्चना सिंहल

शिक्षा का अर्थ सीखना एवं सिखाना है । अगर सीखने के लिए हमारे अन्दर जुनून है तो उस समाज का विकास कभी नहीं रुकेगा । दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बिना शिक्षा प्राप्त किये कोई व्यक्ति अपनी परम ऊँचाईयों को नहीं छू सकता है। किसी भी देश का विकास वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की साक्षरता दर पर निर्भर करता है। साक्षरता दर में वृद्धि तभी हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त हो । किसी भी प्रकार का भेद–भाव, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक स्तर, ऊँच–नीच, क्षेत्रीय असमानता तथा लिंग के आधार पर ना हो । अगर कोई विकलांग है तो उसका शरीर जरूर अधूरा है पर आत्मा सम्पूर्ण है, उसे भी सपने देखने का अधिकार है । कोई निर्धन है तो संसाधन जरूर सीमित है, परन्तु ऊँचाईयों तक पहुँचने की ललक उसके अन्दर भी है ।

स्वतन्त्रता के बाद भारत में जो शिक्षा तंत्र लागू था वह न केवल मात्रात्मक रूप से बल्कि संरचनात्मक रूप से अव्यवस्थित था । देश के किसी क्षेत्र में तो शिक्षा की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध थीं तो कहीं कम और कहीं–कहीं तो बिल्कुल नहीं । पूरी जनसंख्या की सिर्फ (लगभग) 14–15 प्रतिशत जनसंख्या ही साक्षर थी बाकी 86 प्रतिशत (अनुमान के आधार पर) जनसंख्या निरक्षर पायी गयी । शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने का एक सुगम मार्ग दिखायी दिया जिसके अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया । सन् 1993 में भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने यह घोषणा की कि चौदह वर्ष के आयु तक के बालकों के लिये शिक्षा को जीवन के अधिकार के तहत मूल–भूत अधिकार में जोड़ा जाये ।

परिणाम स्वरूप भारत जो 135 देशों में से एक था, भारतीय संसद ने ऐतिहासिक अधिनियम "**शिक्षा का अधिकार**" को संवैधानिक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए 4 अगस्त 2009 में स्वीकृत किया तथा 1 अप्रैल 2010 से 21–ए के तहत

शिक्षा विभाग, सेंट एलायसियस महाविद्यालय स्वशासी, जबलपुर।

Right to Education: Challenges and Possibilities (ISBN: 978-93-80346-98-4), Editors: A. Pathak & R. Pandey, H.P. Bhargava Book House, Agra, 78-82, 2013.